संं0-19/2017/266/38-6-17-01(पीएमएजीवाई)/2015टीसी-1

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक-12 जुलाई, 2017**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु अनुदान संं0-83 में स्वीकृत धनराशि को डीआरडीए लखनऊ के पीएलए मद में रखने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-346/कार्य0/पीएमएजीवाई/2017, दि0-20.04.2017 एवं पत्रांक-347/कार्य/पीएमएजीवाई/2017, दि0-20.04.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संं0-8/280/38-6-16-01(पीएमएजीवाई)/2015 टीसी-1, दि0-22.03.2016 द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि रू0-42.55 करोड(रूपये बयालिस करोड पचपन लाख मात्र) स्वीकृत की गयी थी तथा शासनादेश संं0-191/38-6-16-01(पीएमएजीवाई/2015 टीसी-1, दि0-30 मार्च, 2017 द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित करके डीआरडीए, लखनऊ के नाम से खुले पी0एल0ए0 में दि0-31.03.2017 तक रखे जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। इसी प्रकार शासनादेश संं0-192/38-6-16-01(पीएमएजीवाई)/2015टीसी-1, दि0-30 मार्च, 2017 के माध्यम से स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि रू0-1.55 करोड को दि0-31.03.2017 तक डीआरडीए लखनऊ के पीएलए में रखने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2- पीएमएजीवाई योजना के अन्तर्गत चयनित जनपदों से प्राप्त कार्य योजना का अनुमोदन भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका जून, 2015 में प्रदत्त व्यवस्था के अधीन राज्य स्तर पर गठित परिचालन सह अनुश्रवण समिति से प्राप्त नहीं होने के कारण पीएलए खाते में रखी हुयी गैप फिलिंग मद की उक्त धनराशि चयनित जनपदों के पक्ष में अभी तक अवमुक्त नहीं की जा सकी है।

3- अतएव उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित कुल रू0-44.10 करोड की धनराशि को डीआरडीए लखनऊ के नाम से खुले पीएलए में दि0-31.03.2017 से बढाकर 30.09.2017 तक की अवधि तक रखे जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- उक्त धनराशि वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन की अनुमति के उपरांत ही आहरित की जायेगी।

5- उक्त धनराशि का आहरण अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर के उपरांत किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संं0-यू0ओ0 ई-2/396/दस-2017, दि0-17 मई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>सं0-19/2017/266(1)/38-6-2017 तददिनांक।</u>

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ/संबंधित जनपद।
6- संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभा-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

उमा कान्त पाठक
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in